	आज्ञा पत्र	
19.2.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19.4.24 को पेश हो।	
	पत्रावली दिनांक 19.4.24 को नियत थी। इस दिनांक को राजकीय अवकाश होने से पत्रावली आज पेशी में आई। पत्रावली पूर्व आज्ञा अनुसार दिनांक 31.5.24 को पेश हो।	
31.5.24	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4.7.24 को पेश है।	
4.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.7.24 को पेश हो।	
16.7.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 63/2014

1 लच्छी देवी उर्फ लक्ष्मी पत्नी श्री भगवानाराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासिनी श्यामपुरा तह नवसृजित धोद जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 तीजू देवी (मृत)
1/1 रामनिवास पुत्र स्व. मुकन्दाराम
1/2 रामकुवार पुत्र स्व. मुकन्दाराम
1/3 जगदीशप्रसाद पुत्र स्व. मुकन्दाराम
2 रामी देवी पुत्री स्व. मुकन्दाराम पत्नी हेमाराम जाति जाट निवासी श्यामुपरा तह धोद जिला सीकर हाल तुनवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 गीता देवी पुत्री स्व. मुकन्दाराम पत्नी कुरडाराम जाति जाट निवासी श्यामपुरा तह धोद जिला सीकर हाल सेवद बड़ी तह धोद जिला सीकर।
4 श्योपाल पुत्री स्व. मुकन्दाराम पत्नी गोविन्दाराम जाति जाट निवासी श्यापुरा तह धोद जिला सीकर हाल तुनवा तह लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 उप पंजीयक सीकर नवसृजित धोद जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

[signature]

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील आधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 13.05.2014
न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
बउनवानी आवेदन तीजू देवी बनाम लच्छी देवी
आदि मुकदमा नम्बर 37/2012

उपस्थिति :

1. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरजभान सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 16.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा 37/2012 में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 70, 71, 72, 75, 76, 192, 256, 257, 264, 265, 266, 267, 268, 269 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आज्ञा दिनांक 13.05.2014 पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का समुचित अध्ययन नहीं किया एवं अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के बावजूद वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द कर दिया। विचारण न्यायालय ने आज्ञा दिनांक 13.05.2014 पारित करने से पूर्व वादग्रस्त कृषि भूमि की भौतिक स्थिति व राजस्व रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि वादग्रस्त कृषि भूमियां जरिये विरासत के नामान्तकरण संख्या 255 दिनांक 12.01.1983 के द्वारा प्रतिवादी रामकुवार, मदन उर्फ जगदीश एवं निवास एवं प्रार्थीया तीजू देवी के नाम खातेदारी दर्ज हुई है चूंकि उक्त विरासत का नामान्तकरण संख्या 255 तस्दीक हुए करीब 30 वर्षों का लम्बा समय हो चुका है जिससे भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड एवं कब्जे काश्त में प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की पूर्ण सहमती व स्वीकृति रही हैं। विचारण न्यायालय द्वारा आज्ञा दिनांक 13.05.2014 पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी कतई गौर नहीं किया कि विक्रय पत्र दिनांकित 03.01.2012 को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है। वादग्रस्त कृषि भूमियों में मुकन्दाराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या 255 दिनांक 12.01.1983 को तस्दीक किया जा चुका था जिसको प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। जिससे भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमियों का राजस्व रिकार्ड 30 वर्षो से प्रतिवादी निवास, रामकुवार, मदन उर्फ जगदीश एवं प्रार्थीया तीजू देवी के नाम से चला आ रहा है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अपने आवेदन पत्र में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अभिकथित कथनों में नामान्तकरण संख्या 255 को 30 वर्षो के अन्तराल के पश्चात भी चुनौती नहीं देने को कोई सन्तोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है वादग्रस्त कृषि भूमियों को अपीलान्ट द्वारा क्रय करने के पश्चात भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर एवं राजस्व रिकार्ड परिवर्तन भी जरिये नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज हो चुका है एवं खातेदारी तथा कब्जा काश्त अपीलान्ट का चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2065 से 2068, 2033 से 2035, 2061 से 2064, मिसल बन्दोबस्त 2041 से 2060, मिलान क्षेत्रफल एवं नामान्तकरण संख्या 255 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के पिता मुकन्दाराम के नाम दर्ज रही है। मुकन्दाराम की मृत्यु पर विरासत का नामान्तकरण रामकुमार, मदन व तीजू के नाम दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण मुकन्दाराम की पुत्रियां है। उनका नाम विरासत के नामान्तकरण में दर्ज नहीं किया गया है। पैतृक आधार पर प्रार्थीगण का विवादित भूमि में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं होने के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2065 से 2068, 2033 से 2035, 2061 से 2064, मिसल बन्दोबस्त 2041 से 2060, मिलान क्षेत्रफल एवं नामान्तकरण संख्या 255 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि की खातेदारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रार्थीगण के पिता मुकन्दाराम के नाम दर्ज रही है। मुकन्दाराम की मृत्यु पर विरासत का नामान्तकरण रामकुमार, मदन व तीजू के नाम दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण मुकन्दाराम की पुत्रियां है। उनका नाम विरासत के नामान्तकरण में दर्ज नहीं किया गया है। पैतृक आधार पर प्रार्थीगण का विवादित भूमि में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं होने के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेव राम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर